कमालपुर भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा (झारखण्ड) Reg. I No. 3

फुलचन्द यादव

बनाम

भूमि वाद सं० 66/10-13 सिंदू यादव व अन्य

डिक्री

4-12-12 वादी फुलचन्द यादव पे० स्व० भूमी यादव साकिन सोनिया काका थाना कुडू जिला रांची यादव के पिताजी यादव के भाई स्व० मंगली यादव की पत्नी साकिन सोनिया काका थाना कुडू जिला लोहरदगा के विरुद्ध बिहार भूमि सुधार (अनुसूचित क्षेत्र) के तहत विशेष प्रक्रिया अधिनियम 1949 के अन्तर्गत दाखिल अपील के अन्तर्गत यह आदेश की गई।

वादी द्वारा वाद पत्र में अभिकथित है कि स्व० गोपि पे० फुलचन्द यादव को एक पुत्र भूमी यादव हुए जो अपना विवाह एक पुत्री सुनरिया यादव (वादी) को छोड़कर स्वर्गवासी हुए। वादी अभिकथित है कि स्व० गोपि के वाद दिनांक 06-04-1943 द्वारा भूमिहीन व्यक्ति एवं [illegible] 0-1-5 खेसरा CSP 1884 रकबा 05 (पाँच कट्ठा) 09 (नौ धुर) जमीन दिया। स्व० गोपि के वाद दिनांक 19-01-1960 को CSP 1871 का रकबा 0-0-1-9 (एक धुर नौ कट्ठा) CSP 1872 का रकबा 0-0-2-16 (दो धुर सोलह कट्ठा) एवं CSP 1873 का रकबा 0-0-1-9 (एक धुर नौ कट्ठा) कुल 0-0-5-15 रकबा CS खाता 679 खरीद किया। इसके अतिरिक्त स्व० गोपि को CSP 1885 का रकबा 0-1-4 एवं CSP 1887 का रकबा 0-1-13 CS खाता 679 खरीदी भूमि थी। कालान्तर में स्व० गोपि ने CSP 1881 का रकबा 18 धुर फल्गोल कर दिया। इसका CSP 1881 का रकबा 05 धुर एवं CSP 1884 का 09 धुर कुल 14 धुर भूमि शेष रहा। कालान्तर स्व० गोपि के विपक्षित के वाद दिनांक 08-04-1943 के 14 धुर एवं के वाद दिनांक 19-01-1960 के 0-0-5-5 (पाँच धुर 5 कट्ठा) एवं पैतृक व्यक्तिगत रकबा 0-2-4 कुल 0-3-3-15 (तीन कट्ठा तीन धुर) एहतु कब्जा) भूमि का अधिकार व कब्जा एवं दखल प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात 1980 में भूमि का नक्शा Revenue Survey अभिलेख वादी के पिता भूमी यादव पिता स्व० गोपि के नाम से खाता खाता RSP 3302 [illegible] CSP 1881 के रकबा), RSP 3303 रकबा 02 धुर (दो-

GSP 1884 से बना), RSP 2306 रकबा 0.45 है० (भाग GSP 1886 से बना) एवं RSP 2308 रकबा 0.06 है० (भाग GSP 1887 से बना) कुल रकबा 1.51 है० मध्यस्थम रकबा के रूप में दर्ज है। OP-1 एवं OP-2 ने RSP 2306 का रकबा 0-0-3 (तीन धुर), RSP 2305 रकबा 0-0-2 (दो धुर) पर भवन आदि में कोठरी रकबा वादी को बेदखल कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के अनुरोध पर कलक्ट्रेट अधिकारी, सेमीधुर द्वारा 8 अप्रैल से सीमांकन कराया जिसमें वादी के दावे की पुष्टि हुई। इसके बावजूद प्रतिवादी कोठरी नहीं हटाना चाहते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर वादी ने प्रतिवादी को वादी की भूमि पर से कोठरी हटाने का निर्देश एवं कब्जा यथास्थिति बहाल करने का अनुरोध किया है।

वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रतिवादी कोई सबूत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए और न ही कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष अभिलेखित किया। अतएव इस वाद को प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए स्वीकृत किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिवचन में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को पुनरावृत्त करते हुए तथा अपने अभिवचन के समर्थन में List of Documents के माध्यम से दाखिल दस्तावेज नकल खसरा बंदोबस्ती 2953 दिनांक 64-43 वादित भूमि जनाब अतगोप के पुत्रगण गोप, Rs खाता नं० 625 खतियान खाता नं० 625, Rs खतियान खाता नं० 1129 की छायाप्रति एवं लगान रसीद सं० 461838 जनाब अतगोप की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के विद्वान अधिवक्ता का अभिवचन सुना तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं पुनर्विलोकन किया।

निष्कर्ष: वादी के पूर्वज अतगोप को बंदोबस्ती दिनांक 64-43 से GSP 1881 का रकबा 0-1-3 एवं GSP 1884 का रकबा 0-0-9 कुल 0-2-12 भूमि प्राप्त होने का साक्ष्य है। तत्पश्चात RSP 2306 पुराना खेसरा 1886 एवं RSP 2305 पुराना खेसरा 1886 से बना है। रिविजनल सर्वे खतियान Rs खाता 1129 जनाब

BLAR Case No-66/12-13

मंत्री कादर मि० रमेश यादव में RSP 2306 का रकबा 04 डी० की RSP 2305 का रकबा 02 डी० अंकित है। वाद पत्र की कंडिका 12 में उल्लेखित भूमाफी से संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि तकरारी भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है अथवा नहीं। वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी अपना कोई पक्ष नहीं रख सके जिससे प्रतिवादी का पक्ष ज्ञात नहीं हो सका। अतएव प्रतिपक्षी को इस निर्णय अपना कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

अतः सम्यक विचारोपरांत तकरारी भूमि RSP 2305 एवं RSP 2306 अथवा RS खाता से संबंधित Revisional Survey प्रपत्र के अंतिम रूप से प्रकाशन एवं न्याय निर्णीत कार्यवाही होने पर वादी का दावा व अधिकार संतुष्ट किया जाता है। वादी अपने भूमि के सीमांकन हेतु अंचल अधिकारी बेनीपुर के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकते हैं। अं० अ० विधानित आदि भूमि प्राप्त कर वादी का तकरारी भूमि का सीमांकन करा देंगे। तकरारी भूमि से प्रतिपक्षी को स्वयं विधिवत द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया गया।

लेखापित व संशोधित

4.12.12

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेनीपुर

4.12.12

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेनीपुर

कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेनीपुर, दरभंगा